



**दिल्ली विकास प्राधिकरण
कार्यालय वरिष्ठ लेखा अधिकारी (चिकित्सा)
विकास सदन, आई. एन. ए., नई दिल्ली- २३**

परिपत्र

फाइल संख्या: F10/2019-20/Med/OPD/Misc/28८

दिनांक: ४/१२/१९

विषय: वार्षिक ओपीडी के तहत प्रतिपूर्ति के लिए चिकित्सा बिल जमा करने की तारीख।

वार्षिक ओपीडी प्रतिपूर्ति सीमा के तहत प्रतिपूर्ति के लिए बिल वित्तीय वर्ष के १ अप्रैल से ३१ मार्च तक जमा किया जा सकता है। यह देखा गया है कि अधिकांश ओपीडी प्रतिपूर्ति बिल मार्च के मध्य में और उसके बाद यानी मार्च के दौरान प्राप्त होते हैं क्योंकि कर्मचारी समाप्ति होने से पहले वार्षिक ओपीडी प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने की जल्दी में होते हैं। इसलिए, प्रतिपूर्ति से पहले बिलों की उचित जांच आवश्यक है।

इसलिए, सभी डीडीए न्यू मेडिकल स्कीम के लाभार्थी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे उचित जांच, प्रक्रिया और भुगतान के लिए हर साल १५ मार्च तक अपना ओपीडी बिल जमा करें और असुविधा से बचें।

आपके सहयोग की सराहना की जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत।

(Handwritten Signature)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (चिकित्सा)

सूचनार्थ:

1. व्यक्तिगत सचिव, उपाध्यक्ष
2. व्यक्तिगत सचिव, वित्त सदस्य
3. व्यक्तिगत सचिव, मुख्य लेखाधिकारी
4. सभी संबंधित अंचल कार्यालय
5. सूचना पट्ट
6. गार्ड फ़ाइल
7. पीआर सेल, डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड के लिए



Delhi Development Authority
Office of Sr. Accounts Officer (Medical)
Vikas Sadan, INA, New Delhi-23

File No.: F10/2019-20/Med/OPD/Misc/248

Date: 04/12/19

CIRCULAR

Subject: Date for submission of Medical bills for reimbursements under annual OPD ceiling.

The bill for reimbursement under annual OPD reimbursement ceiling can be submitted from 1st April to 31st March of a financial year. It has been observed that most of the OPD reimbursement bills are received in the middle of March and onwards i.e. during the March as the staff is in a rush to avail annual OPD reimbursement before it lapses. Hence, proper scrutiny of the bills is required before reimbursement.

Therefore, all DDA New Medical Scheme's beneficiary staff and pensioners are requested to submit their OPD bill upto 15th of March, every year for proper scrutiny, process and payment and to avoid inconvenience.

Your kind cooperation shall be appreciated.

This issue with the approval of Competent Authority.

Sr. A.O (Medical)

- ✓ 1. PS to VC for kind information.
2. PS to FM for kind information.
3. PS to CAO for kind information.
4. All concerned Zonal offices.
5. Notice board.
6. Guard File.
7. PR cell for uploading of the same on DDA website.